



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277346
CG-DL-E-22102026-277346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5534]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 5534]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5751(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, निदेश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हों), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 29, 48 और 56 के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू – 11030/2/2025 -यूटीएल]

पी. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2026

S.O. 5751(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the administrator (whether known as Lieutenant Governor or the administrator) of the Union territories of National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Puducherry, Chandigarh, Ladakh and Lakshadweep shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under sections 29, 48 and 56 of the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023) within their respective Union territory.

[F. No. U-11030/2/2025-UTL]

P. MANOJ KUMAR, Jt. Secy.